


निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा)
पत्रांक 687/ दो-14-1/2018-19,
दिनांक: चौबटिया: जून: 09/2018

::कार्यालय आदेश::

शासन के पत्र संख्या 30/XIV-2/2018-30(13)/2017 दिनांक 06.02.2018 के संलग्नक उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं तत्सम्बंधी शासनादेशों के प्राविधानों के अनुरूप तथा इस सम्बंध में दिनांक 05.06.2018 को स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गई संस्तुति के आधार पर श्री राकेश कुमार तेबतिया, प्रभारी मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी का स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत उनके अनुरोध पर उद्यान विशेषज्ञ, सचिवालय सौन्दर्यीकरण, देहरादून के पद स्थानान्तरण कर तैनात किया जाता है।


अतः अग्रिम आदेशों तक प्रभारी मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी का प्रभार श्री बृजराज सिंह, आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ प्रदान किया जाता है। जिसके लिये किसी प्रकार का वेतन भत्ता देय नहीं होगा। वे तदनुसार एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यह स्थानान्तरण श्री तेबतिया के अनुरोध पर किया जा रहा है अतः उन्हें किसी प्रकार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


(आर०सी०श्रीवास्तव)
निदेशक।

पत्रांक 687/ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. संबंधित अधिकारी।
2. मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी / देहरादून।
3. आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
4. संयुक्त निदेशक, उद्यान, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरकाशी / देहरादून।
6. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी / देहरादून।
7. अपर सचिव, उद्यान एवं रेशम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. व्यक्तिगत पत्रावली।


(आर०सी०श्रीवास्तव)
निदेशक।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा)

पत्रांक 684 / दो-34 / 2018-19,

दिनांक: चौबटिया: जून 09 / 2018


: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश सं0-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं तदसंबंधी शासनादेशों के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में विचारोपरान्त स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नव तैनाती स्थान, जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1-	श्री त्रिभुवन जोशी ज्ये०उ०निरीक्षक	मुख्य उद्यान अधिकारी कार्या०-उधमसिंहनगर	निदेशालय उद्यान भवन चौबटिया	श्री भुवन चन्द्र काण्डपाल, ज्ये०उ०नि० मु० के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
2-	श्री दीर्घपाल सिंह नेगी, ज्ये०उ०नि०	जिला उद्यान अधिकारी कार्या०-टिहरी	विकासखण्ड प्रतापनगर टिहरी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
3-	श्री विदुर सिंह राणा ज्ये०उ०नि०	जिला उद्यान अधिकारी कार्या०-चम्पावत	राजकीय उद्यान भटका पिथौरागढ़	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
4-	श्री नवीन चन्द्र पपनै, ज्ये०उ०नि०	वि०ख०धौलादेवी सम्बद्ध-रा०उ०चौबटिया	विकासखण्ड द्वाराहाट अल्मोड़ा	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
5-	श्री भुवन चन्द्र काण्डपाल ज्ये०उ०नि०	निदेशालय उद्यान भवन चौबटिया	मुख्य उद्यान अधिकारी कार्या०- उधमसिंहनगर	श्री त्रिभुवन जोशी ज्ये०उ०निरीक्षक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)

6-	श्री चन्दन सिंह बिष्ट ज्ये०उ०नि०	निदेशालय उद्यान भवन चौबटिया	विकासखण्ड चम्बा टिहरी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
----	--	--------------------------------	--------------------------	---


अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


(आर०सी०श्रीवास्तव)
निदेशक

पत्रांक 684 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- संबंधित कर्मचारी।
- 2- मुख्य उद्यान अधिकारी उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा/जिला उद्यान अधिकारी टिहरी/चम्पावत/आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तत्काल संबंधित कार्मिकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य उद्यान अधिकारी उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा/जिला उद्यान अधिकारी टिहरी/चम्पावत /आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा /पिथौरागढ़/टिहरी /चम्पावत/कोषाधिकारी रानीखेत।
- 6- संयुक्त निदेशक, उद्यान कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- व्यक्तिगत पत्रावली।


(आर०सी०श्रीवास्तव)
निदेशक

**निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा)**

पत्रांक 685 / दो-34 / 2018-19,

दिनांक: चौबटिया: जून 09 / 2018

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश सं0-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं तदसंबंधी शासनादेशों के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में विचारोपरान्त स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है:-

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नव तैनाती स्थान, जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1-	श्री दीवान सिंह भण्डारी, सहा0वि0अधि0	सं0नि0 कार्या0-भवाली नैनीताल	निदेशालय चौबटिया	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
2-	श्री लीला राम, सहा0वि0अधि0	राजकीय पौधालय थल पिथौरागढ़	अधीक्षक, रा0उ0चौबटिया	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
3-	श्री सुन्दरू सहा0वि0अधि0	उ0स0द0के0 नैनबाग टिहरी	रा0पौ0 नौगाँव उत्तरकाशी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
4-	श्री नरेन्द्र लाल साह, सहा0वि0अधि0	उ0स0द0के0 सोमेश्वर अल्मोड़ा	अधीक्षक, रा0उ0दूनागिरी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
5-	श्री प्रमोद कुमार कुकरेती सहा0वि0अधि0	उद्यान विशेषज्ञ, कार्या0-कोटद्वार पौड़ी	उ0स0द0के0 पाबौ पौड़ी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
6-	श्री नारायण सिंह भयेडा, सहा0वि0अधि0	उ0स0द0के0 कौसानी अल्मोड़ा	रा0पौ0 सानदेव पिथौरागढ़	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
7-	श्री डी0एस0काण्डपाल सहा0वि0अधि0	उ0स0द0के0 गोपेश्वर चमोली	उ0स0द0के0 ग्वालदम चमोली	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
8-	श्री भुवन चन्द्र सेमवाल, सहा0वि0अधि0	सचिवालय सौन्दर्यीकरण देहरादून	उ0स0द0के0 लाखामण्डल- देहरादून	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
9-	श्री के0एन0काण्डपाल सहा0वि0अधि0	उ0स0द0के0 भवाली नैनीताल	रा0पौ0धालय पाटन चम्पावत	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)

10-	श्री प्रेमदत्त डोभाल सहा०वि०अधि०	उ०स०द०के० लसेर टिहरी	उ०स०द०के० कीर्तिनगर टिहरी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
11-	श्री बलवन्त सिंह रावत, सहा०वि०अधि०	राजकीय उद्यान खपरौली पौड़ी	राजकीय पौधालय धनौली टिहरी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
12	श्री पुष्कर सिंह रावत सहा०वि०अधि०	राजकीय उद्यान रमड़ी चमोली	रा०पौधालय खाण्डूसैण पौड़ी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
13	श्री नन्दन सिंह गडिया, सहा०वि०अधि०	उ०स०द०के० कपकोट बागेश्वर	उ०स०द०के० डीडीहाट पिथौरागढ़	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
14	श्री प्रेमलाल साह, सहा०वि०अधि०	उ०स०द०के० बनचौरा उत्तरकाशी	उ०स०द०के० पुरौला उत्तरकाशी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
15	श्री नरसिंह सहा०वि०अधि०	राजकीय ड्रग फार्म सौनी	संयुक्त निदेशक कार्या० भवाली नैनीताल	श्री दीवान सिंह भण्डारी के स्थानान्तरण से रिक्त पद के फलस्वरूप (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
16	श्री श्याम सिंह रावत सहा०वि०अधि०	उ०स०द०के० सतबुंगा नैनीताल	राजकीय उद्यान कालाढूंगी नैनीताल	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
17	श्री रीठालाल जुगोला, सहा०वि०अधि०	उ०स०द०के० आराकोट उत्तरकाशी	उ०स०द०के० थानो देहरादून	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
18	श्री नाथ सिंह मर्तोल्या सहा०वि०अधि०	उ०स०द०के० मुनस्यारी पिथौरागढ़	उ०स०द०के० नाचनी पिथौरागढ़	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)


अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


(आर०सी०श्रीवास्तव)
निदेशक

पत्रांक 685/उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- संबंधित कर्मचारी।
- 2- मुख्य उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़/अल्मोड़ा/चमोली/देहरादून/नैनीताल/उत्तरकाशी/
जिला उद्यान अधिकारी टिहरी/पौड़ी/बागेश्वर/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी
मुनस्यारी(पिथौरागढ़)/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार/ अधीक्षक, राजकीय उद्यान चौबटिया
/सौनी /संयुक्त निदेशक,उद्यान,कुमाऊ मण्डल नैनीताल को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के
साथ प्रेषित कि तत्काल संबंधित कार्मिकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा/उत्तरकाशी/पिथौरागढ़/चमोली/देहरादून/जिला
उद्यान अधिकारी पौड़ी/चम्पावत /टिहरी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान चौबटिया/दूनागिरी
/सौनी/संयुक्त निदेशक,उद्यान,कुमाऊ मण्डल नैनीताल /आहरण वितरण अधिकारी
मुख्यालय ।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा /पिथौरागढ़/नैनीताल/ टिहरी/
देहरादून/पौड़ी /चम्पावत/उत्तरकाशी/ कोषाधिकारी रानीखेत/कोटद्वार।
- 6- संयुक्त निदेशक, उद्यान कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- व्यक्तिगत पत्रावली।


(आर०सी०श्रीवास्तव)
निदेशक

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा)

पत्रांक 686 / दो-34 / 2018-19,

दिनांक: चौबटिया: जून 09 / 2018

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश सं0-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं तदसंबंधी शासनादेशों के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में विचारोपरान्त स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नव तैनाती स्थान, जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्त
1	2	3	4	5
1-	श्री केशव चन्द्र पर्यवेक्षक	प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र श्रीनगर (पौड़ी)	राजकीय पौधालय चमाली (पौड़ी)	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
2-	श्री रामचन्द्र पर्यवेक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र सहसपुर देहरादून	उद्यान सचल दल केन्द्र जिब्या उत्तरकाशी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
3-	श्री ज्ञान सिंह तडियाल पर्यवेक्षक	उद्यान विशेषज्ञ कार्यालय - कोटद्वार (पौड़ी)	उद्यान सचल दल केन्द्र पंतवाड़ी (टिहरी)	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
4-	श्री भगवान सिंह पर्यवेक्षक	रा0आ0प्र0 गंगालहरी देहरादून	उद्यान सचल दल केन्द्र भवान (टिहरी)	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
5-	श्री आनन्द सिंह रौतेला, पर्यवेक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र जौरासी अल्मोड़ा	राजकीय उद्यान चौबटिया	श्री लछम सिंह के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
6-	श्री तारा सिंह पर्यवेक्षक	मशरूम केन्द्र भवाली नैनीताल	राजकीय ड्रग फार्म सौनी (अल्मोड़ा)	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
7-	श्रीमती नीलम नेगी पर्यवेक्षक	उद्यान विशेषज्ञ कार्यालय कोटद्वार पौड़ी	राजकीय पौधालय खाम गार्डन चमेटा कोटद्वार-पौड़ी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)

8-	श्री ताजवर सिंह पर्यवेक्षक	उद्यान विशेषज्ञ कार्यालय कोटद्वार पौड़ी	उद्यान सचल दल केन्द्र बुंगीधार पौड़ी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
9-	श्री हरेन्द्र सिंह पर्यवेक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र हरतोला	उद्यान सचल दल केन्द्र म्याणी टिहरी	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-13 के अनुसार)
10	श्री लछम सिंह पर्यवेक्षक	राजकीय उद्यान चौबटिया	उद्यान सचल दल केन्द्र चिल्यानौला अल्मोड़ा	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
11-	श्री कुँवर सिंह नेगी पर्यवेक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र पाली-टिहरी	उद्यान सचल दल केन्द्र बौराड़ी (टिहरी)	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
12-	श्री हरक सिंह पर्यवेक्षक	राजकीय उद्यान चौबटिया	उद्यान सचल दल केन्द्र गरुड़ अल्मोड़ा	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
13-	श्री नवीन चन्द्र लोहनी पर्यवेक्षक	राजकीय उद्यान गड़गड़ी नैनीताल	राजकीय पौधालय शीतलाखेत अल्मोड़ा	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
14-	श्री कौर सिंह पर्यवेक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र भवान - टिहरी	राजकीय पौधालय सिकन्दरपुर हरिद्वार	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
15-	श्री आनन्द गिरी पर्यवेक्षक	राजकीय उद्यान चौबटिया	उद्यान सचल दल केन्द्र तल्ला रामगढ़ नैनीताल	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
16-	श्री तपेन्द्र सिंह पर्यवेक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र पंतवाड़ी टिहरी	उद्यान सचल दल केन्द्र अंजनीसैण टिहरी	श्री दीवान सिंह भण्डारी के स्थानान्तरण से रिक्त पद के फलस्वरूप (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
17-	श्री गोपाल सिंह नेगी पर्यवेक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र सुयालबाड़ी नैनीताल	उद्यान सचल दल केन्द्र जैती (अल्मोड़ा)	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)


अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

(आर०सी०श्रीवास्तव)
निदेशक

पत्रांक 686 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- संबंधित कर्मचारी।
- 2- मुख्य उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा/नैनीताल/देहरादून/ हरिद्वार/उत्तरकाशी, जिला उद्यान अधिकारी टिहरी/पौड़ी/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार/मु0म0वि0अ0, ज्योलीकोट/अधीक्षक, रा0उ0 चौबटिया/पौ0वि0अ0 सौनी/उपनिदेशक, प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र श्रीनगर को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तत्काल संबंधित कार्मिकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा/नैनीताल/देहरादून/ हरिद्वार/उत्तरकाशी, जिला उद्यान अधिकारी टिहरी/पौड़ी/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार/मु0म0वि0अ0, ज्योलीकोट/अधीक्षक, रा0उ0 चौबटिया/पौ0वि0अ0 सौनी/उपनिदेशक, प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र श्रीनगर।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अल्मोड़ा/नैनीताल/देहरादून/हरिद्वार/उत्तरकाशी/टिहरी/पौड़ी, उपकोषाधिकारी रानीखेत/कोटद्वार।
- 6- संयुक्त निदेशक, उद्यान कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- व्यक्तिगत पत्रावली।



(आर0सी0श्रीवास्तव)
निदेशक

**निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा)
पत्रांक 688 (A) / दो-34(3) / 2018-19,
दिनांक: चौबटिया: जून 09 / 2018
: आदेश :**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश सं0-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं तदसंबंधी शासनादेशों के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में विचारोपरान्त स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नव तैनाती स्थान, जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्त
1	2	3	4	5
1-	श्रीमती गीता सरन, प्रधान सहायक	राजकीय मौन पालन केन्द्र ज्योलीकोट (नैनीताल)	प्रधान सहायक, जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय- बागेश्वर	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
2-	श्री महेश चन्द्र मलासी, प्रधान सहायक	औ० प्र० एवं प० केन्द्र श्रीनगर (पौड़ी)	प्रधान सहायक, मुख्य मशरूम विकास अधि० कार्या०- देहरादून	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


(आर०सी०श्रीवास्तव)
निदेशक

पत्रांक 688 (A) / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- संबंधित कर्मचारी।
- 2- राजकीय मौन पालन केन्द्र ज्योलीकोट (नैनीताल) / औद्यानिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र श्रीनगर (पौड़ी) को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तत्काल संबंधित कार्मिकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- जिला उद्यान अधिकारी बागेश्वर।
- 4- मुख्य मशरूम विकास अधिकारी, देहरादून।
- 5- मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी नैनीताल / पौड़ी / बागेश्वर / देहरादून।
- 6- संयुक्त निदेशक, उद्यान कुमायूँ मण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- व्यक्तिगत पत्रावली।


(आर०सी०श्रीवास्तव)
निदेशक

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा)

पत्रांक 688 (B) / दो-34(3) / 2018-19,

दिनांक: चौबटिया: जून 09 / 2018

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश सं0-30/XXX-2 / 2018-30(13)2017 ,दिनांक 06.02.2018, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं तदसंबंधी शासनादेशों के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में विचारोपरान्त स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है:-

क.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नव तैनाती स्थान, जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्त
1	2	3	4	5
1	श्री चन्दन सिंह बिष्ट वरिष्ठ सहायक	राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशि0 केन्द्र रामनगर (नैनीताल)	औ0 प्र0 एवं प0 केन्द्र श्रीनगर (पौड़ी)	श्री रघुवीर सिंह रावत, वरिष्ठ सहायक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
2	श्री रघुवीर सिंह रावत, वरिष्ठ सहायक	औ0 प्र0 एवं प0 केन्द्र श्रीनगर (पौड़ी)	राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशि0 केन्द्र रामनगर (नैनीताल)	श्री चन्दन सिंह बिष्ट, वरिष्ठ सहायक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)


अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

(आर0सी0श्रीवास्तव)
निदेशक

पत्रांक 688 (B) / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- संबंधित कर्मचारी।
- 2- राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र रामनगर (नैनीताल) / औद्यानिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र श्रीनगर (पौड़ी) को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तत्काल संबंधित कार्मिकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र रामनगर (नैनीताल)
- 4- उपनिदेशक, औद्यानिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र श्रीनगर (पौड़ी)
- 5- मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी नैनीताल / पौड़ी।
- 6- संयुक्त निदेशक, उद्यान कुमायूँ मण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- व्यक्तिगत पत्रावली।


(आर0सी0श्रीवास्तव)
निदेशक

**निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया,रानीखेत (अल्मोड़ा)**

पत्रांक 688 (C) / दो-34(3) / 2018-19,


दिनांक: चौबटिया:जून 09 / 2018

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश सं0-30/XXX-2/2018-30(13)2017 ,दिनांक 06.02.2018, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं तदसंबंधी शासनादेशों के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में विचारोपरान्त स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है:-

क. स.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नव तैनाती स्थान,जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्त
1	2	3	4	5
1	श्री नवीन चन्द्र पाण्डे कनिष्ठ सहायक	मुख्य उद्यान अधिकारी कार्या0- नैनीताल	पौ0वि0अ0 कार्या0-विषाढ (पिथौरागढ)	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
2	श्री यामेश पाण्डे कनिष्ठ सहायक	मुख्य उद्यान अधिकारी कार्या0- हरिद्वार	पौ0वि0अ0 कार्या0- सौनी (अल्मोड़ा)	श्री सुनील कुमार नौटियाल कनिष्ठ सहायक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)
3	श्री पवन सिंह पवार कनिष्ठ सहायक	आलू विकास अधिकारी कार्या- उत्तरकाशी	मुख्य उद्यान अधिकारी कार्या0- नैनीताल	श्री नवीन चन्द्र पाण्डे कनिष्ठ सहायक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)
4	श्री सुनील कुमार नौटियाल, कनिष्ठ सहायक	पौधशाला विकास अधिकारी कार्या0- सौनी सम्बद्ध- जि0उ0का0- पौड़ी	मुख्य उद्यान अधिकारी कार्या0- हरिद्वार	श्री यामेश पाण्डे कनिष्ठ सहायक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-10 एवं 12 के अनुसार)


अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


(आर0सी0श्रीवास्तव)
निदेशक

पत्रांक 688 (C) / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- संबंधित कर्मचारी।
- 2- मुख्य उद्यान अधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार/जिला उद्यान अधिकारी, पौड़ी/आलू विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/पौधशाला विकास अधिकारी, सौनी को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तत्काल संबंधित कार्मिकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य उद्यान अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़/हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 4- जिला उद्यान अधिकारी पौड़ी।
- 5- आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 6- पौधशाला विकास अधिकारी, सौनी (अल्मोड़ा)/विषाढ (पिथौरागढ़)।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी नैनीताल/पिथौरागढ़/हरिद्वार/उत्तरकाशी/पौड़ी/उपकोषाधिकारी रानीखेत।
- 8- संयुक्त निदेशक, उद्यान कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 9- व्यक्तिगत पत्रावली।


(आर०सी०श्रीवास्तव)
निदेशक

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा)

पत्रांक 689 / दो-34(3) / 2018-19,

दिनांक: चौबटिया: जून 09 / 2018

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश सं0-30/XXX-2 / 2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं तद्संबंधी शासनादेशों के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में विचारोपरान्त स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नव तैनाती स्थान, जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1-	श्री नन्दाबल्लभ पुनेठा, पर्यवेक्षक	राजकीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र भीमताल (नैनीताल)	राजकीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र, ग्वालदम चमोली	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा-7 एवं 9 के अनुसार)

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

(आर०सी०श्रीवास्तव)
निदेशक

पत्रांक 689 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- संबंधित कर्मचारी।
- 2- प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान केन्द्र, रामनगर (नैनीताल को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तत्काल संबंधित कार्मिकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य उद्यान अधिकारी चमोली।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी नैनीताल/चमोली।
- 5- संयुक्त निदेशक, उद्यान कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- व्यक्तिगत पत्रावली।

(आर०सी०श्रीवास्तव)
निदेशक